न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 122/2018 दायरा दिनांक : 20.07.2018

उनवान

नाथू सिंह वल्द राम सिंह, जाति राजपूत, निवासी चन्द्रपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– मनोहर बाई पत्नी कालू सिंह, जाति राजपूत, निवासी चन्द्रपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2– नारायण सिंह वल्द भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी चन्द्रपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3– शोदान सिंह वल्द राम सिंह, जाति राजपूत, निवासी चन्द्रपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4– मनोहर सिंह वल्द राम सिंह, जाति राजपूत, निवासी चन्द्रपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

5– स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मिश्रोली

6– झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा भावानीमण्डी

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी एल माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.03.2021

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 66/दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 मनोहर बाई पत्नी कालू सिंह, जाति राजपूत, निवासी चन्द्रपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 ग्राम करावन खाता संख्या 38 की 6 किता कुल रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा तथा एक अन्य खाता नम्बर 37 की 3 किता रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम चन्द्रपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसमें अपीलांट प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया अपीलांट ने इन्कारी जवाबदावा पेश किया एवं उज्र लिया कि शामलाती खाते की आराजियात में अन्य भी सहखातेदार हैं एवं वादिनी गलत तौर से खसरा नम्बर 14 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा बंटवारे में प्राथमिकता देते हुए अपने खाते बंधवाना चाहती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने गलततौर से विधि विरूद्ध प्रकरण को राजस्व लोक अदालत केम्प नाहरघटा पर रखा जिसकी कोई सूचना अपीलांट तथा अन्य रेस्पोडेंट को नहीं दी गई इसी प्रकार वाद को राजस्व लोक अदालत केम्प आकखेड़ी पर रखा गया जिस बाबत भी कोई सम्यक तामील रेस्पोडेंट अपीलांट को नहीं करायी गयी एवं विधि विरूद्ध राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान 2018 के तहत बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये विधि विरूद्ध बिना साक्ष्य लिये निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25.06.2018 को पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध हैं बिना शपथ पत्र साक्ष्य रेकार्ड किये एवं बिना जमाबन्दियों आदि लैण्ड रेकार्ड प्रदर्शित किये निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना है, परवर्स हैं केप्रिसियस है जिस कारण अपास्त होने योग्य है । अपीलांट ने जवाबदावा इन्कारी पेश किया था जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयात कायम करनी चाहिए थी एवं वादिनी रेस्पोडेंट नम्बर 1 की शपथ पर साक्ष्य लेनी चाहिए थी एवं दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये जाने थे तथा अपीलांट को जिरह का मौका देना चाहिए था एवं उसके बाद प्रतिवादीगण की साक्ष्य लेना चाहिए था जो कि न लेकर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध प्रकिया अपना कर निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25.06.2018 अपास्त की जाये ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कोई दस्तावेज नहीं लिया है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया है एवं लोक अदालत में निर्णय कर दिया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई एवं शेष रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार खाता संख्या 38 के नाथू सिंह जिनका 5/6 हिस्सा है, मनोहर बाई जिनका 1/6 हिस्सा है । खाता संख्या 37 में नाथू सिंह का 4/6 हिस्सा, मनोहर बाई का 1/6 हिस्सा, नारायण सिंह, शोदान एवं मनोहरसिंह का 1/6 हिस्सा निहित है । हमने अधीनस्थ न्यायालय में दावा बंटवारे का किया था । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की मौजूदगी रही है । अधीनस्थ न्यालय ने हिस्सेनुसार बंटवार किया है, जो सही है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है जबकि वादग्रस्त आराजी 18 बीघा 1 बिस्वा का 1/6 हिस्सा वादिनी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने विक्रेता मोती लाल आत्मज रामसिंह से क्रय किया है जबकि पटवारी रिपोर्ट के अनुसार वादिनी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक ही खसरा नम्बर 14 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर अपना क़ब्जा दर्शाकर बंटवारा कराने का आदेश पारित करवा लिया जबकि विक्रय पत्र में वादग्रस्त आराजी के कुल किता 8 की कुल रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा में सम्पूर्ण 1/6 हिस्से का विक्रय किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल एक ही खसरा नम्बर 14 रेस्पोडेंट संख्या 1 को बंटवारे में देने का आदेश कर दिया है जबकि अन्य खसरा नम्बरों में भी उसका 1/6 हिस्सा निहित है । जिसके अनुसार बंटवारा किया जाना चाहिए था । राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है जिसमें वादग्रस्त आराजी के समस्त खसरा नम्बरों में पक्षकारों के मध्य अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का विभाजन किया जाना

(महेन्द्र लोढ़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

चाहिए था, जिसका अभाव है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर जो बंटवारा किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है । अतः हम प्रकरण को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई, साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करे तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना कर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा रिपोर्ट तैयार कर प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.06.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा